

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2018/00395

दिनांक 19.04.2018

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

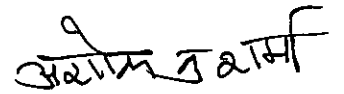
उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 09.04.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 13.04.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 123496) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 16.04.2018 को प्राप्त हुआ से संबंधित बिंदुवार सूचना निम्नांकित है:-

बिंदु सं. 1	सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन करें जो http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित पब्लिक डोमेन (इंटरनेट) में आसानी से उपलब्ध है ।
बिंदु सं. 2, 4, 5 एवं 7	वांछित सूचना सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है ।
बिंदु सं. 3	अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी सभी पत्रों में आयोग का पूरा पता एवं पत्र सं./संचिका सं./डायरी सं. का उल्लेख अवश्य होता है ।
बिंदु सं. 6	कोई सूचना नहीं मांगी गई है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

आपके आवेदन के साथ दस रु0 का अतिरिक्त पोस्टल आर्डर सं. 37 एफ 280450 आपको वापस किया जाता है ।

संलग्नक - यथोपरि ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690